देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 211 /भू अ० दिनांक : 6-1-17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–कल्याणपुर, थाना–देवघर, थाना सं०– 398, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **जसीडीह–बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग 04/E** –(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–कल्याणपुर, थाना–देवघर, थाना सं०–398, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 13315 **वर्गफीट्** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0/ TPP No.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफीट् में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5/1	111,112/ 1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	1710	स्वपना कुमार सिन्हा पे० सुशील कुमार सिन्हा।	मौजा–मधुसुदन छोराठ मौजा नं०–256	मौजा –कल्याणपुर अंश	अंश रकवा	सतसंग भिरखीबाद रोड
2	5/3	93,1456	बसौड़ी	मकान में सहन	410	शकुन्तला देवी पति राजेन्द्र वर्णवाल।				
3	5/ क	93,1456	बसौड़ी	मकान में सहन	300	श्रीमति यशोदा गुप्ता पति सहदेव गुप्ता।				
4	5/2	5	बसौड़ी	मकान में सहन	360	श्रीमति मंजू देवी पति दशरथ साह।				
5	5	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	360	श्रीमति सरोज देवी पति शिवनन्दन लाल।				
6	5/4	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	330	श्रमति माधुरी देवी केसरी पति मुरलीधर केसरी।				
7	5	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	320	श्रीमति लीला देवी पति स्व० जमुना प्र० वर्णवाल।				
8	5	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	446.25	राजेन्द्र मोदी पे० स्व० कार्तिक वर्णवाल वो सहदेव वर्णवाल।				
9	5/13	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	3660	रामरती देवी पति स्व० योगेन्द्र प्र० सिंह।				
10	8/2881	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	5100	सेकेट्री भागलपुर डिविजन।				
11	5	93/1456	बसौड़ी	मकान में सहन	318.75	मनोज सिंह				
				कुल रकवा (वर्गफीट में)–	**13315**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 811 / भू अ०, देवघर, दिनांक 6-11-17
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।
प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

6/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।